

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 80/3116

पटना, दिनांक 4.1.19

सं० सं०-05/उ० नि० ब० (आवंटन) 26/2018

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

सहायक उद्योग निदेशक (लेखा),
उद्योग/निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय :-

मुख्य शीर्ष-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-105-खादी ग्रामोद्योग, मांग सं०-23, उपशीर्ष-0101- बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायक अनुदान, विपत्र कोड 23-2851001050101 के अंतर्गत विषय शीर्ष 0101.33.01 -सब्सिडी मद से वित्तीय वर्ष 2018-19 में बिहार में खादी के विकास एवं बिहार के खादी संस्था/समितियों को डिजायनयुक्त खादी वस्त्रों के निर्माण में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से चयनित Project Management Agency (PMA) के लिए रु० 2,20,00,000/- (दो करोड़ बीस लाख रुपये) मात्र के आवंटन हेतु निर्गत आवंटनादेश पत्रांक 32/आ०, दिनांक 30.11.2018 को निरस्त करने के संबंध में।

महाशय,

उक्त बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रु० 2,20,00,000/- (दो करोड़ बीस लाख रुपये) मात्र के आवंटनादेश पत्रांक 32/आ०, दिनांक 30.11.2018 को निरस्त किया जाता है। यह निरस्तीकरण वित्तीय वर्ष 2018-19 के विभागीय ज्ञापांक-01 दिनांक 01.01.19 के आलोक में किया जा रहा है।

विश्वासभाजन

4.1.19

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 4.1.19

ज्ञापांक 80/3116

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 4.1.19

ज्ञापांक 80/3116

प्रतिलिपि :- योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ए०सी०-डी०सी० यू०सी० कोषांग, उद्योग विभाग/प्रशाखा-05, उद्योग निदेशालय/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, महेश भवन, पटना/उप उद्योग निदेशक(योजना), उद्योग निदेशालय एवं आई०टी०मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।